भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1535
10.02.2021 को उत्तर देने के लिए

प्रति व्यक्ति आय

1535. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में अत्यधिक असमानता है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में कितना अंतर रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अंतर को पाटने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए वर्तमान तथा स्थिर (2011-12) मूल्यों पर राज्य-वार प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) अनुलग्नक में दिया गया है ।

(ग): मंत्रालय, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) श्रृंखला के आधार वर्ष, जो वर्तमान में 2011-12 है, में केवल निवल मूल्य वर्धन (एनवीए) के अनुसार ग्रामीण और शहरी आय के अनुमानों का संकलन करता है । वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति एनवीए नीचे दिया गया है:

प्रति व्यक्ति निवल मूल्य वर्धन (एनवीए) (रुपए में)		
वर्ष	ग्रामीण	शहरी
2011-12	40,925	98,435

(घ): सरकार समावेशी विकास पर ध्यान दे रही है, जैसा कि सबका साथ, सबका विकास की इसकी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है और ग्रामीण तथा शहरी असमानता को कम करने के लिए इसने कई कदम उठाए हैं । 'गांव, गरीब और किसान' सरकार की नीतियों के केंद्र में है । सरकार, देश में संपूर्ण संतुलित विकास के लिए ग्रामीण और शहरी भारत दोनों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए कई लक्षित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

कर रही है । इन कार्यक्रमों में अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण तथा शहरी आजीविका मिशन, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुख़र्जी राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ग्रामीण शहरी मिशन (एसपीएमआरएम), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण और शहरी), आदि शामिल हैं । अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 103 लाख करोड़ रुपए की एक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की घोषणा की गई थी ।

केंद्रीय बजट 2020-21 में भी व्यापक और समेकित आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गयी है । इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू मांग के भरण पोषण के लिए निजी आय कर दरों के युक्तिकरण, ग्रामीण खर्च बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्रों और महत्वपूर्ण उपायों के समग्र रूप से विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना शामिल है । सरकार ने छः क्षेत्रों: (i) स्वास्थ्य और पोषण, (ii) शिक्षा, (iii) कृषि और जल संसाधन, (iv) वित्तीय समावेशन, (v) कौशल विकास, और (vi) मूलभूत अवसंरचना में पिछड़े क्षेत्रों के व्यापक विकास के लिए लक्षित एसपिरेशनल जिला कार्यक्रमों को भी आरंभ किया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में, सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभावों से लड़ने तथा आर्थिक वृद्धि को पूर्व रूप में लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की । आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में उपभोग और वृद्धि बढ़ाने और के लिए कई उपायों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपात कार्य पूंजी निधि, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती क्रेडिट, प्रधानमंत्री किसान निधि ट्रांसफर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दावा भुगतान, डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज समाप्ति, राज्यों के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत चल निधि सहायता, कृषि खरीद के लिए कार्य पूंजी सहायता, प्रवासियों के लिए निःशुल्क खाद्य उपलब्ध करवाना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, मनरेगा बजटीय सहायता और उच्च पारिश्रमिक दरें, मुद्रा शिशु लोन राहत, प्रधानमंत्री स्वनिधि, कृषि क्षेत्र अवसंरचना के लिए कृषि-अवसंरचना निधि, सूक्ष्म खाद्य उद्योगों (एमएफई) के औपचारिकीकरण के लिए योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, पशु पालन अवसंरचना विकास निधि, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) से लेकर सभी फलों और सब्जियों के ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार और औषधीय कृषि तथा मधुमक्खी पालन का विकास करना ।

केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यापक आधार पर सहायता और समेकित आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की गयी है । मुख्य उपायों में शामिल हैं, सभी वस्तुओं पर उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना एमएसपी सुनिश्चित करना, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वामित्व योजना का विस्तार, कृषि क्रेडिट और अवसंरचना निधियों को बढ़ावा देना, आधुनिक फिशिंग बंदरगाहों और फिश लैंडिंग केन्द्रों के विकास के लिए निवेश, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एमएसएमई क्षेत्र आदि के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन है ।

*****

अनुबंध

'प्रति व्यक्ति आय' पर दिनांक 10.02.2021 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.1535 से संबंधित विवरण

दिनांक 02.02.2021 के अनुसार, आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रुपए में)

क्र. सं.	राज्य\संघ शासित क्षेत्र	वर्तमान मूल्य			स्थिर मूल्य		
		2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	आंध्र प्रदेश	120676	139680	151173	94115	103214	107241
2	अरुणाचल प्रदेश	117344	130197	139588	85644	90727	93191
3	असम	66330	75151	82837	53575	57835	60695
4	बिहार	34045	36850	40982	25820	26699	28668
5	छत्तीसगढ़	78924	84823	92413	64372	66122	69500
6	गोवा	378953	411740	430081	305875	308296	337745
7	गुजरात	156295	175068	195845	129738	142068	153495
8	हरियाणा	185050	211526	236147	150241	159892	169409
9	हिमाचल प्रदेश	150290	165025	183108	122208	130644	139469
10	जम्मू और कश्मीर*	76634	84166	92347	60557	62984	65178
11	झारखंड	60018	67484	73155	48826	52277	54982
12	कर्नाटक	169898	186413	206092	131186	141236	148970
13	केरल	166246	183435	204105	129251	138368	148078
14	मध्य प्रदेश	74324	81642	90165	52782	54264	56498
15	महाराष्ट्र	163738	175121	191736	133691	140724	147450
16	मणिपुर	59345	71507	75229	47151	51211	51180
17	मेघालय	73753	77504	84725	57752	58493	62458
18	मिज़ोरम	127107	155222	176620	99089	117272	129609
19	नागालैंड	92315	104681	116882	64939	68456	73276
20	ओडिसा	79181	89370	98181	67851	72934	75191
21	पंजाब	128780	139775	154313	105848	110802	115882
22	राजस्थान	91946	99366	110606	71394	74441	78570
23	सिक्किम	280729	349163	380926	207355	232483	242002
24	तमिल नाडु	156595	175276	193964	123206	133029	142941
25	तेलंगाना	159395	180494	204488	121512	132293	143618
26	त्रिपुरा	91596	100444	112849	69860	75020	82632
27	उत्तर प्रदेश	52671	56861	62652	40847	41832	43670
28	उत्तराखंड	161172	182320	198738	138286	147204	155151
29	पश्चिम बंगाल	82291	91401	101138	60618	64007	67300
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	153904	178709	199842	129532	145562	155046
31	चंडीगढ़	252236	285048	320300	208230	223083	234998
32	दिल्ली	295558	322000	358430	244255	255431	269505
33	पुदुचेरी	187357	198357	206133	126556	134650	134735

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय

नोट: * लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर से संबंधित,
उपर्युक्त सूचना को लक्षद्वीप, दमन और दीव और नगर हवेली के संबंध में संकलित नहीं किया गया है ।